पर्यावरण और वन मंत्रालय

मांग संख्या 29

पर्यावरण और वन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1339.96	177.99	1517.95	1388.96	180.99	1569.95	1481.95	194.72	1676.67
पूंजी		*11.04*	*10.01*	*21.05*	*11.04*	*10.01*	*21.05*	*18.05*	*12.28*	*30.33*
जोड़		**1351.00**	**188.00**	**1539.00**	**1400.00**	**191.00**	**1591.00**	**1500.00**	**207.00**	**1707.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	15.32	15.32	...	15.32	15.32	...	22.00	22.00
वानिकी और वन्यजीवन										
2. शिक्षा और प्रशिक्षण										
2.01 राज्य वन रेंजर्स महाविद्यालय	2406	2.05	2.79	4.84	3.39	2.79	6.18	3.35	3.00	6.35
	4406	0.45	...	0.45	0.50	...	0.50	0.45	...	0.45
	जोड़	*2.50*	*2.79*	*5.29*	*3.89*	*2.79*	*6.68*	*3.80*	*3.00*	*6.80*
2.02 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	2406	1.20	3.03	4.23	4.30	3.24	7.54	5.00	3.60	8.60
	4406	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	1.00	...	1.00
	जोड़	*1.65*	*3.03*	*4.68*	*4.75*	*3.24*	*7.99*	*6.00*	*3.60*	*9.60*
2.03 भारतीय वन सेवा प्रशिक्षण	2406	1.35	...	1.35	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
2.04 भारतीय वानिकी प्रबंध संस्थान	2406	6.00	1.25	7.25	6.90	1.53	8.43	6.70	1.85	8.55
2.05 अन्य सेवा कार्मिक प्रशिक्षण	2406	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
2.06 वानिकी कार्मिक विदेशी प्रशिक्षण	2406	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
2.07 अन्य पणधारियों का प्रशिक्षण	2406	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़-शिक्षा और प्रशिक्षण		**11.50**	**7.07**	**18.57**	**17.04**	**7.56**	**24.60**	**26.50**	**8.45**	**34.95**
3. अनुसंधान										
3.01 भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद	2406	54.00	15.55	69.55	57.00	16.24	73.24	61.65	17.00	78.65
3.02 भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान	2406	4.00	1.34	5.34	5.00	1.50	6.50	4.45	1.50	5.95
	जोड़	*58.00*	*16.89*	*74.89*	*62.00*	*17.74*	*79.74*	*66.10*	*18.50*	*84.60*
4. वन्य संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग-भारतीय	2406	0.43	6.88	7.31	6.07	6.45	12.52	5.30	7.00	12.30
वन सर्वेक्षण	4406	0.23	...	0.23	0.10	...	0.10	0.20	...	0.20
	जोड़	*0.66*	*6.88*	*7.54*	*6.17*	*6.45*	*12.62*	*5.50*	*7.00*	*12.50*
5. वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन										
5.01 पुनर्जनन-वन प्रभाग का सुदृढ़ीकरण	2406	1.15	...	1.15	7.28	...	7.28	6.50	...	6.50
	4406	0.50	...	0.50	0.53	...	0.53	0.50	...	0.50
	जोड़	*1.65*	...	*1.65*	*7.81*	...	*7.81*	*7.00*	...	*7.00*
5.02 एकीकृत वन संरक्षण योजना	2406	1.03	...	1.03	1.55	...	1.55	...	...	...
	3601	46.50	...	46.50	46.50	...	46.50	...	...	...
	3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	...	...	...
	जोड़	*47.63*	...	*47.63*	*48.15*	...	*48.15*	...	...	...
5.03 वन प्रबन्धन का सघनीकरण	2406	...	...	...	...	...	...	2.50	...	2.50
	3601	...	...	...	...	...	...	84.00	...	84.00
	3602	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*87.00*	...	*87.00*
5.04 मूली बम्बू का वृन्द पुष्पण (मेलोकाना बेकसीफेरा) (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चिन्हित)	2552	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	15.00	...	15.00
5.05 राष्ट्रीय वानिकी सूचना प्रणाली	2406	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
5.06 गैर-टिम्बर वन उत्पाद स्रोतों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय समन्वित कार्यक्रम	2406	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50

सं.29/ पर्यावरण और वन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
5.07. काष्ठ और गैर-काष्ठ वन स्रोतों हेतु प्रमाणन कार्यक्रम	2406	...	...	...	...	...	...	1.50	...	1.50
जोड़-वन संरक्षण विकास और पुनर्जनन		**76.28**	**...**	**76.28**	**82.96**	**...**	**82.96**	**111.50**	**...**	**111.50**
6. वन्य जीवन संरक्षण										
6.01 भारतीय वन्य जीव संस्थान	2406	11.00	1.58	12.58	11.00	1.63	12.63	12.20	1.70	13.90
6.02 प्रोजेक्ट टाइगर	2406	1.50	...	1.50	1.90	...	1.90	0.40	...	0.40
	3601	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	71.60	...	71.60
	जोड़	*61.50*	*...*	*61.50*	*61.90*	*...*	*61.90*	*72.00*	*...*	*72.00*
6.03 वन्य जीवन प्रभाग और विशेष कृतिक बलों के लिए परामर्शी सेवाओं को सुदृढ़ करना	2406	4.58	...	4.58	4.00	...	4.00	...	...	...
6.04 प्रोजेक्ट एलीफेंट	2406	0.18	...	0.18	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	3601	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	16.50	...	16.50
	जोड़	*14.18*	*...*	*14.18*	*14.50*	*...*	*14.50*	*17.00*	*...*	*17.00*
6.05 केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण	2406	14.00	...	14.00	17.00	...	17.00	14.50	...	14.50
6.06 राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता	2406	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
	3601	56.00	...	56.00	56.00	...	56.00	...	...	...
	जोड़	*57.00*	*...*	*57.00*	*57.00*	*...*	*57.00*	*...*	*...*	*...*
	2406	...	...	...	...	...	...	6.00	...	6.00
6.07 वन्य जीव अपराध नियंत्रण	2406	21.00	0.80	21.80	21.00	1.00	22.00	25.00	0.85	25.85
6.08 पशुओं का कल्याण										
6.09 जैव-विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना (ईएपी)	2406	1.00	...	1.00	1.47	...	1.47	1.00	...	1.00
	3601	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
	जोड़	*3.00*	*...*	*3.00*	*2.47*	*...*	*2.47*	*3.00*	*...*	*3.00*
6.10 वन्य जीव निवास का एकीकृत विकास	2406	...	...	...	...	...	...	1.50	...	1.50
	3601	...	...	...	...	...	...	72.50	...	72.50
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*74.00*	*...*	*74.00*
जोड़-वन्य जीवन संरक्षण		**186.26**	**2.38**	**188.64**	**188.87**	**2.63**	**191.50**	**223.70**	**2.55**	**226.25**
7. प्राणी विज्ञान उद्यान	2406	0.60	5.57	6.17	0.60	5.73	6.33	0.60	6.00	6.60
	4406	0.40	...	0.40	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90
	जोड़	*1.00*	*5.57*	*6.57*	*1.50*	*5.73*	*7.23*	*1.50*	*6.00*	*7.50*
8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2406	...	1.26	1.26	...	1.62	1.62	...	1.60	1.60
9. राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम										
9.01 राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड	2406	16.04	...	16.04	24.46	...	24.46	25.40	...	25.40
9.02 राष्ट्रीय वानिकीकरण कार्यक्रम	2406	304.55	...	304.55	337.95	...	337.95	290.62	...	290.62
9.03 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम	6406	...	10.01	10.01	...	10.01	10.01	...	10.00	10.00
9.04 पी.आर.आई. द्वारा वानिकीकरण (एनसीएमपी सम्बद्ध योजना)	2406	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	...	...	...
9.05 समुदायों के साथ सामाजिक वानिकी (पंचायत वन योजना)	2406	...	...	...	...	...	...	15.00	...	15.00
जोड़-राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम		**320.69**	**10.01**	**330.70**	**362.51**	**10.01**	**372.52**	**331.02**	**10.00**	**341.02**
जोड़-वानिकी और वन्य जीवन पारिस्थितिकी और पर्यावरण		**654.39**	**50.06**	**704.45**	**721.05**	**51.74**	**772.79**	**765.82**	**54.10**	**819.92**
10. सर्वेक्षण										
10.01 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	3435	0.36	15.74	16.10	8.00	13.84	21.84	9.00	15.80	24.80
	5425	3.00	...	3.00	2.23	...	2.23	9.00	...	9.00
	जोड़	*3.36*	*15.74*	*19.10*	*10.23*	*13.84*	*24.07*	*18.00*	*15.80*	*33.80*
10.02 भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण	3435	2.63	11.61	14.24	9.00	11.61	20.61	9.15	12.25	21.40
	5425	3.00	...	3.00	1.88	...	1.88	2.00	...	2.00
	जोड़	*5.63*	*11.61*	*17.24*	*10.88*	*11.61*	*22.49*	*11.15*	*12.25*	*23.40*
कुल-सर्वेक्षण		**8.99**	**27.35**	**36.34**	**21.11**	**25.45**	**46.56**	**29.15**	**28.05**	**57.20**
11. पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार										
11.01 पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण योजना	3435	29.73	0.02	29.75	37.50	0.03	37.53	50.50	0.03	50.53

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
11.02 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	3435	2.04	0.75	2.79	5.90	0.75	6.65	6.00	1.50	7.50
	5425	3.00	...	3.00	2.40	...	2.40	4.00	...	4.00
	जोड़	*5.04*	*0.75*	*5.79*	*8.30*	*0.75*	*9.05*	*10.00*	*1.50*	*11.50*
जोड़-पर्यावरणीय शिक्षा/ प्रशिक्षण/विस्तार		**34.77**	**0.77**	**35.54**	**45.80**	**0.78**	**46.58**	**60.50**	**1.53**	**62.03**
12. संरक्षण कार्यक्रम										
12.01 जैव मंडल प्रारक्षण	3435	2.60	...	2.60	2.85	...	2.85	3.00	...	3.00
	3601	6.50	...	6.50	6.65	...	6.65	6.50	...	6.50
	जोड़	*9.10*	*...*	*9.10*	*9.50*	*...*	*9.50*	*9.50*	*...*	*9.50*
12.02 क्षेत्रीय वानस्पतिक उद्यानों के लिए सहायता	3435	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.20	...	2.20
12.03 मैंग्रोव पारिस्थितिकी व्यवस्थाएं और वेट लैंडस	3435	3.99	...	3.99	4.69	...	4.69	3.00	...	3.00
	3601	11.50	...	11.50	12.00	...	12.00	14.50	...	14.50
	जोड़	*15.49*	*...*	*15.49*	*16.69*	*...*	*16.69*	*17.50*	*...*	*17.50*
जोड़-संरक्षण कार्यक्रम		**26.59**	**...**	**26.59**	**28.19**	**...**	**28.19**	**29.20**	**...**	**29.20**
13. पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय										
13.01 पर्यावरणीय सूचना प्रणाली	3435	3.77	0.29	4.06	4.76	0.29	5.05	5.50	0.32	5.82
13.02 उत्कृष्टता केन्द्र	3435	7.50	1.39	8.89	7.50	1.49	8.99	8.50	1.45	9.95
	जोड़	*11.27*	*1.68*	*12.95*	*12.26*	*1.78*	*14.04*	*14.00*	*1.77*	*15.77*
14. अनुसंधान और पारिस्थितिकीय-पुनर्जनन										
14.01 अनुसंधान और विकास	3435	3.95	...	3.95	4.80	...	4.80	5.80	...	5.80
14.02 जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान	3435	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50	9.45	...	9.45
14.03 पारिस्थितिकी-विकास बल	3435	9.60	...	9.60	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50
	जोड़	*22.05*	*...*	*22.05*	*23.80*	*...*	*23.80*	*25.75*	*...*	*25.75*
15. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	3435	0.79	2.16	2.95	5.50	2.07	7.57	3.00	2.10	5.10
प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण										
16. राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम										
16.01 राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	3435	1.68	...	1.68	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
16.02 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	3435	264.00	...	264.00	251.85	...	251.85	249.00	...	249.00
16.03 राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	3435	100.00	...	100.00	63.21	...	63.21	80.00	...	80.00
	जोड़	*365.68*	*...*	*365.68*	*321.06*	*...*	*321.06*	*335.00*	*...*	*335.00*
17. वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम										
17.01 जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण (उपकर)	3435	...	80.34	80.34	...	83.34	83.34	...	84.00	84.00
17.02 पर्यावरण प्राधिकरण और पर्यावरण आयोग और न्यायाधिकरण की स्थापना	3435	2.00	...	2.00	4.45	...	4.45	2.00	...	2.00
17.03 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	3435	45.00	10.26	55.26	37.50	10.46	47.96	34.50	11.09	45.59
17.04 सामान्य मल-जल शोधन संयत्रों का संवर्धन	3435	3.95	...	3.95	4.00	...	4.00	4.45	...	4.45
17.05 अन्य स्कीमें	3435	0.98	...	0.98	1.00	...	1.00	...	...	...
	जोड़	*51.93*	*90.60*	*142.53*	*46.95*	*93.80*	*140.75*	*40.95*	*95.09*	*136.04*
18. प्रभाव मूल्यांकन										
18.01 पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम	3435	1.30	0.05	1.35	2.94	0.06	3.00	3.50	0.08	3.58
18.02 स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्धन	3435	1.40	...	1.40	3.50	...	3.50	3.05	...	3.05
	जोड़	*2.70*	*0.05*	*2.75*	*6.44*	*0.06*	*6.50*	*6.55*	*0.08*	*6.63*
जोड़-प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण		**420.31**	**90.65**	**510.96**	**374.45**	**93.86**	**468.31**	**382.50**	**95.17**	**477.67**
19. अन्य कार्यक्रम										
19.01 प्रदूषण का शमन	3435	3.27	...	3.27	3.50	...	3.50	5.50	...	5.50
19.02 धरोहर में पर्यावरणीय प्रबन्ध, ताज संरक्षण मिशन सहित तीर्थ यात्रा और पर्यटन केन्द्र	3601	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
19.03 खतरनाक पदार्थ प्रबंध	3435	7.53	...	7.53	8.00	...	8.00	9.00	...	9.00
19.04 प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	3435	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
19.05 पर्यावरण परियोजना स्थिति	3435	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
19.06 भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-पर्यावरण समर्थन कार्यक्रम	3435	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
19.07 वर्गीकरण क्षमता निर्माण परियोजना	3435	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.75	...	2.75
19.08 जैव विविधता संरक्षण	3435	3.70	...	3.70	3.70	...	3.70	4.45	...	4.45
19.09 सूचना प्रौद्योगिकी	3435	26.27	...	26.27	16.71	...	16.71	16.50	...	16.50
19.10 जलवायु परिवर्तन परियोजना	3435	2.65	...	2.65	4.23	...	4.23	3.50	...	3.50
19.11 सिविल निर्माण एकक	5425	0.01	...	0.01	2.05	...	2.05	...	2.28	2.28
19.12 अन्य	3435	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
19.13 पर्यावरणीय आयोजना एवं समन्वय संगठन (ई.पी.सी.ओ.)- मध्य प्रदेश का संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण एवं रिपोजिशनिंग तथा नागालैण्ड में प्राकृतिक संसाधन प्रबंध एवं कृषक आजीविका सुदृढ़ीकरण	3601	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	0.50	...	0.50
19.14 पर्यावरण सूचना केंद्र का सुदृढ़ीकरण	3435	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
19.15 राष्ट्रीय तटीय प्रबंध कार्यक्रम	3435	0.10	...	0.10	1.55	...	1.55	1.37	...	1.37
19.16 ई.आई.ए. क्षमता निर्माण एवं संशोधित पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया	3435	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	...	...	...
	जोड़	*63.74*	...	*63.74*	*54.84*	...	*54.84*	*55.08*	*2.28*	*57.36*
20. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	108.10	...	108.10	113.00	...	113.00	135.00	...	135.00
जोड़-पारिस्थितिकी और पर्यावरण		**696.61**	**122.61**	**819.22**	**678.95**	**123.94**	**802.89**	**734.18**	**130.90**	**865.08**
21. वेतन संबंधी वचनबद्ध देयताएं/पूर्ण हो चुकी आयोजना स्कीमों का स्थापना संघटक	3451	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***1351.00***	***188.00***	***1539.00***	***1400.00***	***191.00***	***1591.00***	***1500.00***	***207.00***	***1707.00***

**** ईएपी घटक सहित***

ग. योजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. वानिकी और वन्य जीवन	12406	627.39	...	627.39	694.05	...	694.05	750.82	...	750.82
2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	13435	588.51	...	588.51	565.95	...	565.95	599.18	...	599.18
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	135.10	...	135.10	140.00	...	140.00	150.00	...	150.00
जोड़		**1351.00**	**...**	**1351.00**	**1400.00**	**...**	**1400.00**	**1500.00**	**...**	**1500.00**

1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है ।

2. शिक्षा एवं प्रशिक्षण :

2.01 राज्य वन रेंजर कालेज : तीन राज्य वन सेवा कालेज देहरादून, बर्नाहाट और कोयम्बतूर मे स्थित है । यह कालेज राज्य वन सेवा अधिकारियें के लिए दो वर्ष का पाठ्यक्रम चलाते हैं ।

रेंजर्स कालेज : रेजर्स कालेज कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल) में स्थित है । यह कालेज राज्य वन विभागों के रेंज अफसरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

2.02 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादूनः इस अकादमी को देहरादून स्थित भारतीय वन कालेज का दर्जा बढ़ाकर और इसे वन अनुसंधान संस्थान से अलग करके 25.5.1987 को बनाया गया था । यह अकादमी भारतीय वन सेवा अधिकारियें के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है ।

2.03 भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षणः इस स्कीम के अंतर्गत सेवारत भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

2.04 भारतीय वन प्रबंधन संस्थानः इस संस्थान की व्यापक वनीकरण एवं विशेष वन कार्यक्रम सहित संरक्षण, अधिकतम उपयोगिता और वन आधारित उत्पादों मे समय-समय पर उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि में प्रबंधकीय कुशलता एवं विशेषज्ञता विकास के लिए छठी योजना के दौरान एक स्वायत्त निकाय के रुप में स्थापना की गई थी।

3. अनुसंधान : निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान हैः

3.01 भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषदः इसकी स्थापना वर्तमान वन क्षेत्र के संरक्षण और वनों की उत्पादकता को बढ़ाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी । भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद को 1.6.1991 से स्वायत्तता प्रदान की गई थी । वन अनुसंधान संस्थान,

देहरादून अनुसंधान का उत्कृष्ट केन्द्र है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं की देखभाल के लिए देश के विभिन्न पारि-भूगोलीय क्षेत्रों में आई सी एफ आर ई के अंतर्गत निम्नलिखित पांच संस्थान हैं :-

(i) काष्ठविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर

(ii) इन्स्टीट्यूट ऑफ फोरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, कोयम्बटूर

(iii) इन्स्टीट्यूट ऑफ डेसिड्यूअस फोरेस्ट, जबलपुर

(iv) इन्स्टीट्यूट ऑफ एरिड जोन फोरेस्टरी रिसर्च, जोधपुर

(v) इन्स्टीट्यूट ऑफ रेन एंड मॉस्ट डेस्ड्यिूअस फारेस्ट रिसर्च, जोरहाट

3.02 भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौरः इसकी प्लाईवुड उद्योग और भारत सरकार द्वारा 1968 में संयुक्त रुप से स्थापना की गई थी।

4. वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोगिताः भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून नियमित अंतराल पर वन संसाधनों का व्यापक सर्वेक्षण करता है और वैज्ञानिक वानिकी योजना को सरल बनाने के लिए पुनः सूचीकरण के माध्यम से मूल्यांकन सहित राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर योजना के लिए सूचना प्रस्तुत करता है ।

5. वन संरक्षण, विकास एवं पुनरुद्धारः यह वनों की अंधाधुंध कटाई और वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग को रोकने के लिए यह एक चल स्कीम है । वनों की प्रभावी सुरक्षा के लिए वन सुरक्षा बलों का सुदृढ़ीकरण, चराई पर नियंत्रण, मुख्य ईंधन के रुप में जलावन लकड़ी पर प्रतिबंध और इसके लिए वैकल्पिक ईंधन को अभिनिर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीम वन प्रबन्ध सघनीकरण है।

5.04 मुली बांस (मेलकाना बैक्सीफेरा) का सामूहिक पुष्पण : वर्ष 2004-07 में उत्तरी पूर्वी राज्यों में मुली बांस (मेलकाना बैक्सीफेरा) के सामूहिक पुष्पण के कारण होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

6. वन्यजीव संरक्षण

6.01 भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादूनः यह संस्थान सेवारत अधिकारियों को प्रशिक्षण और निरन्तर शिक्षा प्रदान करता है और वन्यजीव में 2 वर्ष का एम.एस.सी. पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है ।

6.02 से 6.07 और 6.10 प्रोजेक्ट टाइगर एवं अन्य परियोजनाएंः वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें '' बाघ परियोजना'' ''हाथी परियोजना'' और ''वन्य जीव निवास का एकीकृत विकास'' है। स्कीमों का उद्देश्य न केवल वन्यजीव की संकटापन्न प्रजातियों बल्कि पूरी पारि-प्रणाली की सुरक्षा करना है । अंतिम दो स्कीमों का उद्देश्य स्थानीय लोगों की जीवन गुणता में सुधार करना और वन परियोजनाओं पर उनकी निर्भरता को कम करना भी है। स्कीमों का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से सटे क्षेत्रों में योजना के द्वारा विभिन्न भोगाधिकारों की आपूर्ति बढ़ाना भी है।

6.08 पशु कल्याणः इस स्कीम के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यों में शैल्टर हाऊस का निर्माण, पशु जन्म नियंत्रण, प्रतिरक्षण, आपातकालीन वाहन सेवा और राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान की स्थापना करना है । स्कीम का कार्यान्वयन भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

6.09 जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण जीविका सुधार परियोजनाः जैव विविधता के संरक्षण, इसके सतत उपयोग और जैव संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों की उचित और बराबर हिस्सेदारी से संबंधित मामलों को जैव विविधता संरक्षण स्कीम के अंतर्गत निपटाया जाता है।

9. राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्डः राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड को अगस्त, 1992 में स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारि-पुनरुद्धार और पारि-विकास को बढ़ावा देना है । अवक्रमित वन क्षेत्रों और पश्चिमी हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाटों आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के साथ वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और अन्य सुरक्षित क्षेत्रों से सटी भूमि के पुनरुद्धार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इसकी प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय वनीकरण स्कीम मुख्य स्कीम है । यू एन सी सी डी और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड में शामिल है ।

9.04 पी आर आई के माध्यम से वनीकरणः इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण संस्थानों को उनके अधिकार क्षेत्र में उपलबध परती/अपकृष्ट भूमि में वृक्ष आधारित नवीकरणीय बायोमास संसाधनों का सृजन करना तथा उससे ग्रामीण गरीबों के लिए सतत् रुप से जीविका का सृजन करना है ।

10. सर्वेक्षणः

10.01 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षणः भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, निम्नलिखित की देखभाल करता है : (क) देश के समग्र पौध संसाधनों का सर्वेक्षण करना, (ख) देश की समग्र वनस्पति का संपूर्ण वर्गिकी अध्ययन, (ग) सभी संकटापन्न प्रजातियों की सूची बनाना और उनके प्रभावी संरक्षण के लिए उपाय करना, (घ) आर्थिक रुप से और अन्य रुप में मानव के लिए उपयोगी पौधे की प्रजातियों का अभिनिर्धारण, संग्रहण एवं संरक्षण करना।

10.02 भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षणः भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, व्यवस्थित जीवविज्ञान, जन्तु पारिस्थितिकी, समुद्री प्राणी सहित जन्तुओं के विभिन्न समूहों की प्राणि-विज्ञान के क्षेत्र में वानस्पतिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है । इसका मुख्य उद्देश्य (क) वानस्पतिक संसाधनों की खोज एवं सर्वेक्षण (ख) वर्गिकी अध्ययन (ग) संकटापन्न प्रजातियों का स्थिति सर्वेक्षण है ।

11. पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार

11.01 पर्यावरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्कीमः मंत्रालय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के माध्यम से देश के लगभग सभी आयु समूहों के लोगों को पर्यावरणीय शिक्षा देन को प्राथमिकता देता है । मंत्रालय प्राथमिक एवं सेकेण्डरी स्कूल और महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अनौपचारिक शिक्षा देते हुए भी पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है । स्कीम के अन्तर्गत मुख्य कार्य इस प्रकार हैं (क) राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरुकता अभियान (ख) इको-क्लब (राष्ट्रीय हरित कोर) और (ग) जन जागरुकता ।

11.02 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयः मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक केन्द्र है जो पारिस्थितिकी, वन्यजीव एवं पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में स्कूली बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जरुरत के बारे में देश में जागरुकता का सृजन एवं संवर्धन करना है ।

12. संरक्षण कार्यक्रम : कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीम नमभूमि एवं कच्छ वनस्पति, जीवमंडल रिजर्व का संरक्षण एवं प्रबंधन और क्षेत्रीय वानस्पतिक उद्यानों को सहायता करना है ।

13. पर्यावरणीय योजना एवं समन्वयः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य स्कीमें पर्यावरणीय सूचना प्रणाली और उत्कृष्टता केन्द्र है । पर्यावरणीय सूचना प्रणाली के अंतर्गत 76 विषयों पर विशिष्ट एनविस केन्द्र के नेटवर्क के माध्यम से अधिकाधिक प्रयोक्ताओं के लिए पर्यावरणीय सूचना का संग्रहण, समाकलन एवं प्रसार किया जाता है ।

14. अनुसंधान एवं पारिस्थितिकी पुनरुद्धारः इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न संगठनों द्वारा शुरु की गई अनुसंधान परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है । मंत्रालय पारिस्थितिकीय, विकास, क्षतिग्रस्त पारि-प्रणालियों का पुनरुद्धार और अवक्रमित क्षेत्रों के पारि पुनरुद्धार में विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थानों एवं स्वैच्छिक संगठनों की अधिकाधिक सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है ।

15. अन्तरराष्ट्रीय सहयोगः इसमें पर्यावरणीय अनुसंधान एवं पारि-पुनरुद्धार के विकास में शामिल यू एन ओ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान देने का प्रावधान है ।

16. राष्ट्रीय नदियों और झीलों का प्रदूषण निवारणः पुरानी स्कीम "गंगा नदी के प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण" के क्षेत्र को सभी राष्ट्रीय नदियों एवं झीलों को शामिल करने के लिए व्यापक बनाया गया है । राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषित भागों की सफाई एवं इसके कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है । मुख्य कार्य दिशा परिवर्तन, सीवर की सफाई एवं पंपिंग सेटों के पुनरुद्धार से संबंधित है । शुरु की जाने वाली प्रस्तावित स्कीमें हैं (i) नदियों में गिरने वाले अपशिष्ट जल का अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन (ii) जैव ऊर्जा जैसे संसाधनों की रिकवरी के साथ अपशिष्ट जल का शोधन (iii) कम लागत की स्वच्छता, जैविक संरक्षण आदि जैसे अन्य सफाई उपाय । राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 42 शहरी झीलों का आगे और अधिक अवक्रमण रोकने के लिए संरक्षण हेतु अभिनिर्धारण किया गया है ।

17. वायु एवं जल प्रदूषण का निवारणः प्रावधान में (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुदान; राज्य सरकारों/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता; और संबंधित स्कीमों का वित्त पोषण शामिल है । केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 1974 में स्थापना की गई थी । बोर्ड वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है । प्रावधान में सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों के संवर्धन के लिए दिया गया अनुदान शामिल है । दसवीं योजना स्कीमों

के दौरान यथा पर्यावरणीय अंकेषण पर्यावरणीय सांख्यिकी एवं मानचित्रण और लघु उद्योगों द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी को निवारण कार्यनीतियों के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण उपशमन के रुप में मिला दिया गया था ।

18. प्रभाव मूल्यांकनः इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और विकास तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी के संबर्धन की है । विकासात्मक परियोजना की 44 श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य बताया गया है । 1991 में तटीय विनियम क्षेत्र संबंधी अधिसूचना के उपरांत संवेदी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए देश के तटीय क्षेत्रों में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं ।

19. अन्य कार्यक्रमः इन स्कीमों जैसे ताजमहल संरक्षण सहित प्रदूषण निवारण, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सहायता का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, केन्द्र/राज्य अनुसंधान संस्थान और अन्य सरकारी एजेंसियों/संगठनों को प्रदूषण निवारण के लिए नीति विवरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनकी तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सहायता करना है।

19.06 भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पर्यावरण सहायता कार्यक्रमः यह पर्यावरण क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को सहायता देने के लिए है और यह विकेन्द्रीकरण और जनभागीदारी के ऊपर दसवीं योजना के फोकस पर आधारित है ।

19.07 वर्गिकी क्षमता निर्माण परियोजनाः वर्गिकी कार्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अंतरालों की पहचान कर लिए जाने के पश्चात वर्गिकी में क्षमता निर्माण के लिए अखिल भारतीय समन्वित परियोजना तैयार की गई है ।

19.13 पर्यावरणीय योजना और समन्वय संगठन, मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता इस प्रकार हैं : (i) राज्य पर्यावरणीय नीति को प्रचालित करना (ii) जिला योजना प्रक्रिया और सैक्टोरल कार्यक्रम में पर्यावरणीय कठिनाईयों को सरल बनाना (iii) पर्यावरणीय प्राथमिकताएं तय करने के कार्य में मध्य प्रदेश के हित धारकों को शामिल करना । (iv) पर्यावरणीय समस्याओं और उसके अन्तर्निहित कारणों को समझने में सुधार लाना ।

19.14 पर्यावरणीय सूचना केन्द्र का सुदृढ़ीकरणः दिल्ली स्थित पर्यावरणीय सूचना केन्द्र की डिलीवरी क्षमता को बढ़ाने और बृहद आंकड़ा संग्रहण और प्रसारण के लिए क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव ह ।

19.16 राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रमः वर्तमान तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना, 1991 में सुधार करने के लिए मंत्रालय ने प्रो. एम.एस.स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी । समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय का निम्नलिखित कार्य करने का प्रस्ताव है- (क) तटीय पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण, (ख) तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले स्थानीय समुदायों की सुरक्षा और आजीविका की सुरक्षा, (ग) तटीय क्षेत्रों के साथ सतत विकास को बढ़ावा देना, (घ) भूमि आधारित कार्यों से होने वाले प्रदूषण के कारण तटीय पर्यावरण को बिगाड़ने से रोकने के लिए उपाय ।

19.17 पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन में क्षमता निर्माण और संशोधित पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रियाः उद्देश्य नीचे दिए गए हैं (i)संशोधित पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर क्षमता निर्माण; (ii) ई एम सी बी परियोजना के प्रभाव के रुप में निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाना । (iii) भारतीय गुणवत्ता परिषद के माध्यम से पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन परामर्शदाता का अधिकार ।

20. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाएं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधानः पर्यावरण और वन क्षेत्र में स्कीमों के लिए 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एक विशिष्ट स्कीम (पैरा 5.04) भी है जिसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।